

*मानवाधिकार प्रणाली की मजबूती के लिए ऐतिहासिक नया कानून*

टोरंटो – ऑंटेरियो विधानसभा ने बिल 107, मानवाधिकार कोड संशोधन अधिनियम, 2006, पारित कर दिया है, यह घोषणा अटॉर्नी जनरल माइकल ब्राइंट ने आज की।

“यह ऑंटेरियो के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यह नया कानून भेदभाव को बेहतर ढंग से रोकेगा, और अधिक तेजी और कुशलता से शिकायतों को हल करेगा,” ब्राइंट कहते हैं। “यह ऑंटेरियो की मानवाधिकार प्रणाली को आधुनिक और मजबूत बनाएगा, तथा हमें मानवाधिकार प्रवर्तन हेतु संयुक्त राष्ट्र के मानकों के समकक्ष खड़ा करेगा।”

मानवाधिकार कोड संशोधन अधिनियम, 2006, ऑंटेरियो में 44 वर्ष पहले सृजित होने के बाद, मानवाधिकार प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।

ऑंटेरियो के मानवाधिकार अधिकरण में सीधे दाखिल किए जाने योग्य व्यक्तिगत दावों सहित नई शिकायत प्रक्रिया लागू की जाएगी।

मानवाधिकार कोड संशोधन अधिनियम, 2006, के अंतर्गत, ऑंटेरियो मानवाधिकार आयोग का अधिदेश, मानवाधिकार मामलों की जांच और पूर्व-सक्रिय उपायों, जैसे सार्वजनिक शिक्षा, पदोन्नति, सार्वजनिक समर्थन, अनुसंधान और निगरानी के माध्यम से ऑंटेरियो में भेदभाव से निपटने में इसकी भूमिकाओं के बीच बेहतर संतुलन होगा।

इस आयोग को किसी भी मामले में जांच का अधिकार, यदि यह समझा जाता है कि यह जनहित में है, और अधिकरण के समक्ष पेश किसी भी आवेदन में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। यह कानून आयोग को अधिकरण के समक्ष अपने स्वयं के आवेदन पेश करने की अनुमति भी देगा।

यह अधिनियम, अधिकरण में किए जाने वाले आवेदनों के सभी पहलुओं से संबंधित कानूनी और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए कम लागत पर और प्रांतभर में फ़ैली कार्यकुशल प्रणाली के संचालन हेतु लोक निधिकृत और लोक जवाबदेह, एक नया कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करेगा। इसका तात्पर्य आवेदकों को प्रक्रिया की शुरुआत से अंत तक अधिकरण के आदेश लागू करने सहित सेवा और सहायता देना होगा।

“ये बदलाव विश्व की सबसे आधुनिक और विकासशील मानवाधिकार प्रणालियों में से एक को उत्पन्न करेंगे,” जॉन फ्रेज़र, आवास समानता अधिकार केंद्र के कार्यकारी निदेशक कहते हैं। “मानवाधिकार सुनवाई के लिए सीधे पहुंच महत्वपूर्ण है यदि ऑंटेरियो में मानवाधिकार संरक्षित और प्रोत्साहित किए जाते हैं।”

“हमारी मानवाधिकार शिकायत प्रक्रिया में सुधार के लिए ऑंटेरियो की सरकार की प्रशंसा करनी होगी। भेदभाव से पीड़ित लोगों को अब निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई प्रक्रिया मिल सकेगी,” राज आनंद, पूर्व मुख्य आयुक्त कहते हैं। “यह विधि निर्माण ऑंटेरियो में समान अधिकारों की सुरक्षा को मजबूती देने वाली, इस सरकार की चिरस्थायी विरासतों में से एक होने की संभावना है।”

“मानवाधिकार कोड संशोधन अधिनियम, 2006, में निर्धारित रूप में हमारी मानवाधिकार प्रणाली का यह सार्थक सुधार ऑंटेरियो को मानवाधिकार संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय अगुआ बने रहना सुनिश्चित करेगा,” जेम्स मोर्टन, ऑंटेरियो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते हैं। “ऑंटेरियो में मानवाधिकार अधिकरण तक सीधे पहुंच का सिद्धांत कार्यान्वित कर, सरकार ने एक ऐसी आदर्श प्रणाली सृजित की है जिससे आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा।”

“मानवाधिकार कोड संशोधन अधिनियम, 2006, पर एक महत्वपूर्ण बहस हुई, जिसने इस कानून में सुधार और मजबूती प्रदान की है,” ब्राइंट बताते हैं। “अब इसकी सुनिश्चितता हेतु सभी पार्टियों को मिल-जुलकर काम करने का समय है कि कानून वही करे जो इसका उद्देश्य है – भेदभाव का सामना करने वालों के लिए न्याय तक पहुंच की सुनिश्चितता।”

– 30 –

संपर्क सूत्र:

ग्रेग क्रोन (Greg Crone)

अटॉर्नी जनरल मंत्रालय (Ministry of the Attorney General)

मंत्रालय

(416) 326-1785

ब्रेनडन क्रॉले (Brendan Crawley)

अटॉर्नी जनरल मंत्रालय

संचार शाखा (Communication Branch)

(416) 326-2210

[www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca](http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca)

सामान्य टेलीफोन पूछताछ: 416-326-2220 अथवा 1-800-518-7901

दृष्टिहीन व्यक्ति इस दस्तावेज का मूल पाठ सुनने के लिए

उपरोक्त फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं

टीटीवाई: 416-326-4012

इस दस्तावेज का 14 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।

ये अनुवाद शीघ्र ही [www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca](http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca) पर उपलब्ध होंगे।